

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

जी०आर०सं०-६३९/२०२०

दाउदनगर थाना कांड संख्या-२१८/२०२०

२९.०१.२०२१ आवेदक र्कार्पियो वाहन निबंधन संख्या-JH13F6147 का स्वामी योगेन्द्र कुमार की ओर से दिनांक-१९.०९.२०२० को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते हैं कि उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद के अनुसंधानक को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक-२८.०१.२०२१ तक समर्पित करने हेतु र्मारित किया गया था कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नहीं लेकिन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अतः उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि इस आशय का कारण-पृच्छा दिनांक:-०९.०२.२०२१ तक समर्पित करें कि किन परिस्थितियों में आपको द्वारा न्यायालय का आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा आपको र्मारित भी किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेजे।

प्र० अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।